

11

पत्रांक 1प्र0आ0-14/2015 1502/आ0प्र0

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

अनिरुद्ध कुमार,
विशेष सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
पूर्णियां, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, कटिहार, दरभंगा, मधुबनी एवं सीतामढ़ी।

पटना-15, दिनांक- 25/4/15

विषय: दिनांक 21.04.2015 के रात्रि में आए भीषण चक्रवाती तूफान से हुए गृह क्षति का सर्वेक्षणोपरान्त प्रतिवेदन एवं अधियाचना भेजने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके जिले में दिनांक 21.04.2015 के रात्रि में आए भीषण चक्रवाती तूफान से हुए गृह क्षति का सर्वेक्षण यथाशीघ्र कराकर राशि की गणना कर संलग्न विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन एवं अधियाचना दिनांक 27.04.2015 तक भेजने की कृपा की जाए।

अनुलग्नक: यथोक्त।

विश्वासभाजन
25/4/15
(अनिरुद्ध कुमार)
विशेष सचिव

समाहरणालय,
(जिला आपदा प्रबंधन शाखा)

दिनांक 21.04.15 की रात्रि में आए भीषण चकवाती तूफान के फलस्वरूप क्षतिग्रस्त मकानों के लिए गृह क्षति अनुदान की गणना

(राशि रुपये लाख में)

क्र० सं०	प्रभावित प्रखण्डों की संख्या	प्रभावित पंचायतों / ग्रामों की संख्या	प्रभावित परिवारों की संख्या	पूर्णतया (Fully) / गंभीर (Severely) रूप से क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या		अधियाचित राशि @ Rs. 95100 प्रति मकान	आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त कच्चा मकानों की संख्या (जहाँ क्षति कम से कम 15 % हो)	अधियाचित राशि @ Rs. 3200 प्रति कच्चा मकान	आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त पक्का मकानों की संख्या (जहाँ क्षति कम से कम 15 % हो)	अधियाचित राशि @ Rs. 5200 प्रति पक्का मकान	क्षतिग्रस्त / नष्ट झोपड़ी *** की संख्या	अधियाचित राशि @ Rs. 4100 प्रति झोपड़ी	घर के साथ संलग्न क्षतिग्रस्त पशु शेड की संख्या	अधियाचित राशि @ Rs. 2100 प्रति पशु शेड	कुल अधियाचित राशि (6+8+10 +12+14)
				कच्चा *	पक्का **										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

* कच्चा घर से अभिप्रेत होगा खपड़पोश घर

** पक्का घर से अभिप्रेत होगा पक्की छत वाला घर

*** झोपड़ी से अभिप्रेत होगा फूस की छत वाला घर

जिला पदाधिकारी/
अपर समाहर्ता का
हस्ताक्षर